

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,  
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

विषय:- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) की गाइडलाइन्स में संशोधन के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-253/नि0शा0/2022-23, दिनांक 28 जून, 2022, पत्र संख्या-280/नि0शा0/,दिनांक 12 जुलाई, 2022, पत्र संख्या-320/नि0शा0/पी0एम0एम0एस0वाई0/ 2022-23, दिनांक 22 जुलाई, 2022 एवं पत्र संख्या-348/नि0शा0/2022-23, दिनांक 01 अगस्त, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की गाइड लाइन्स में आंशिक संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 08.08.2022 निर्गत किया गया था।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश जून, 2020 के क्रम में प्रदेश में प्रश्नगत योजना को लागू किये जाने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या 31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर 2020 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के प्रस्तर-3 के उपप्रस्तर-6.14 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या 36/2022 /852/सत्रह-म-2022-6-9(03)/2020 दिनांक 08.08.2022 द्वारा नवीन उप प्रस्तर -6.17 के रूप में 09 नवीन मापदण्ड /मानक निर्धारित किये गये थे।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-437/नि0शा0/पी0एम0एम0एस0वाई0/2022-23 दिनांक 21 सितम्बर, 2022 द्वारा पुनः संशोधन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 08.08.2022 के प्रस्तर-3 के बिन्दु 6.17 (7) व बिन्दु 6.17(9) को एतद्वारा निम्नवत संशोधित किया जाता है-

बिन्दु	पूर्व में लागू नियम	संशोधित नियम/मानदण्ड
6.17(7)	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख अथवा इससे अधिक की परियोजनाओं हेतु परियोजना लागत की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि, बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख या उससे कम की परियोजनाओं में बैंक से ऋण लेना अनिवार्य नहीं होगा। रू0 20.00 लाख से अधिक की लागत की परियोजनाओं में लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक ऋण लिया जाना अनिवार्य होगा।
6.17(9)	प्रश्नगत योजना के अन्य मापदण्डों पर एक से अधिक पात्र लाभार्थी मिलने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के सिद्धान्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रश्नगत योजना के मापदण्डों पर एक से अधिक पात्र लाभार्थी मिलने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष डिजिटल लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

4- अतः केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के प्रदेश में संचालन हेतु शासनादेश संख्या 31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश (गाइड लाइन्स) एवं शासनादेश संख्या 36/2022 /852/सत्रह-म-2022-6-9(03)/2020 दिनांक 08.08.2022 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं शेष प्राविधान तथा नियम/शर्तें यथावत रहेंगी।

5- उपरोक्त संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू अथवा प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या- 38/2022/ 1125 (1)/सत्रह-म-2022 तददिनांक-**

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

- (1) सचिव, मत्स्य, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (2) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र० शासन।
- (3) मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र०।
- (5) समस्त जिलाधिकारी, 30प्र०।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र० मत्स्य विकास निगम लि०, लखनऊ।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि०, लखनऊ।
- (8) समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा 30प्र०, लखनऊ।
- (9) निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- (10) समस्त उप निदेशक मत्स्य, 30प्र०।
- (11) समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र०।
- (12) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाली निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, 30प्र०।
- (13) वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-1/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
- (14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह )

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।